# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 56 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 12–10–2020

मुंशी पुत्र रामपाल मीना निवासी ग्राम बाखरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18–9–2020 प्रकरण सं0 43 / 2020**

उपस्थिति : (1) श्री बंसन्त कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय** दिनांक 20–1–2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा तह0 उनियारा पर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पेलन्टी कायम करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव अधीनस्थ न्यशयालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्व पटवारी हल्का ग्राम पायगा ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0, पर कब्जे की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सोप के समक्ष पेश की जो गलत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है बल्कि अवैधानिक रूप से रिपोर्ट की है जो विधि एंव विधान के विपरीत है। इसलिए नायब तहसीलदार [illegible]–2020 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट नियत दिनांक 18–8–202[illegible] तहसीलदार साहब के कार्यालय में उपस्थित हुआ था किन्तु [illegible] कोई नहीं था इसलिए न तो अपीलान्ट की हाजरी [illegible] गई तथा [illegible] सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दी गई तथा अपीलान्ट को [illegible] बुलवाने की बात कही थी किन्तु उसके बाद नायब तहसीलदार साहब द्वारा अपीलान्ट [illegible] बिना तामील ही

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:57 IST
Reason: SelfAttested

अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को न तो गवाह पेश करने का अवसर मिला ओर न ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–9–2020 निरस्त फरमाया जावे व 90 दिवस का सिविल कारावास निरस्त कर 174/रूपये की आरोपित शास्ति निरस्त फरमाई जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा विवादित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 2232 दिनांक 11–3–2020 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है, ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है, किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर उड़द कह फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27–12–2021 व 29–12–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम पायगा पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है, जो कब्जा काश्त था वो हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 18–9–2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:57 IST
Reason: SelfAttested